

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर (म.प्र.)

ए.डी.आर. भवन, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बुरहानपुर (म.प्र.)

क्र./LADC/जि.वि.से.प्रा./५०५९/२०२५,

बुरहानपुर, दिनांक २०/०२/२०२५

// सार्वजनिक सूचना //

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम, 2022 अंतर्गत लागू नियम एवं शर्ते एवं वेतन/मानदेय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय, बुरहानपुर में संचालित कार्यालय लीगल एड डिफेंस काउंसिल अन्तर्गत मुख्यालय बुरहानपुर हेतु **ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क** के 01 पद, मासिक वेतन/मानदेय 15,000/- एवं **ऑफिस प्यून** के 01 पद, मासिक वेतन 10,000/- पर 01 वर्ष की संविदा आधार पर निर्धारित प्रपत्र में योग्य एवं पात्र इच्छुक उम्मीदवारों से केवले ऑफलाईन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाना है।

उक्त पदों पर संविदा अधार पर नियुक्ति के संबंध में जारी दिशा निर्देश, विज्ञापन एवं आवेदन का प्रारूप जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट <https://burhanpur.dcourts.gov.in/notice-category/recruitments/> एवं <https://district.mphc.gov.in/en/recruitment-result> संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम, 2022, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की वेबसाईट www.mpslsa.gov.in पर उपलब्ध होकर डाउनलोड की जा सकती है।

अतः आप सभी को सूचित किया जाता है कि इच्छुक अर्ह आवेदकगण उक्त योजना विज्ञापन एवं दिशा-निर्देश के आलोक में अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित अंतिम तिथि 12.03.2025 को समय सायं 05:00 बजे तक या उसके पूर्व **श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर को सम्बोधित करते हुए पता:- ए.डी.आर. भवन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, ग्राम मोहम्मदपुरा, बुरहानपुर पिन:- 450331** पर स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन जिला न्यायालय कि आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध है जिसे उक्त वेबसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

*Asstc
19/2/25*
प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
 बुरहानपुर (म.प्र.)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर (म.प्र.)

ए.डी.आर. भवन, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, बुरहानपुर (म.प्र.)

क्र./LADC/जि.वि.से.प्रा./4650/2025,

बुरहानपुर, दिनांक 20/02/2025

// भर्ती विज्ञप्ति //

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम, 2022 अंतर्गत लागू नियम एवं शर्तें एवं वेतन/मानदेय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय, बुरहानपुर में संचालित कार्यालय लीगल एड डिफेंस काउंसिल अन्तर्गत मुख्यालय बुरहानपुर हेतु **ऑफिस असिस्टेंट/कलर्क** के 01 पद, मासिक वेतन/मानदेय 15,000/- एवं **ऑफिस प्यून** के 01 पद, मासिक वेतन 10,000/- पर 01 वर्ष की संविदा आधार पर निर्धारित प्रपत्र में योग्य एवं पात्र इच्छुक उम्मीदवारों से ऑफलाईन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि

:- 20 फरवरी 2025 (गुरुवार)

आवेदन करने की अंतिम तिथि

:- 12 मार्च 2025 (बुधवार)

आवेदन पत्रों की छटनी एवं अर्ह/अनर्ह

:- 24 मार्च 2025 (सोमवार)

अभ्यार्थियों की सूची जारी करने की तिथि
अनुबंध (स्कीनिंग) / साक्षात्कार दिनांक

:- बाद में अधिसूचित किया जावेगा।

पदनाम, वेतनमान और अर्हतायें:-

पदनाम	कुल पद	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
ऑफिस असिस्टेंट/कलर्क	01	15,000/-	<p>01. मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक की उपाधि हो।</p> <p>02. आवेदक सी.पी.सी.टी. का वैध प्रमाण-पत्र का धारक हो।</p> <p>03. अभिलेख के संधारण एवं उसकी प्रासेसिंग का ज्ञान</p> <p>04. मौखिक एवं लिखित संसूचना की उत्कृष्ट योग्यता</p> <p>05. सामान्य वर्ड प्रोसेसिंग स्कील एवं कप्यूटर को संचालित करते हुये उसमें डाटा की एंट्री किये जाने हेतु आवश्यक स्कील</p> <p>06. आवेदनों/ याचिकाओं की समुचित सेटिंग के साथ 40 वर्ड पर मिनट की टाईपिंग स्पीड</p> <p>07. ई-मेल, टेलीफोन, फैक्स एवं अन्य टेली कम्यूनिकेशन सिस्टम पर कार्य करने की योग्यता।</p>
ऑफिस प्यून	01	10,000/-	<p>आठवीं कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड / केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार / सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण।</p>

*पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकेगी।

टीप:- आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

आयु की गणना (दिनांक 01 जनवरी 2025 की स्थिति में):-

समस्त अभ्यर्थीयों के लिए दिनांक 01 जनवरी 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। ऑफिस असिस्टेंट के लिये आवेदक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/न्यायिक विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारीगण होने की स्थिति में अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी तथा ऑफिस प्यून के लिए आयु सीमा अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी।

आवेदन पत्र भरने के निर्देश और विधि:-

01— कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ ले। आप निर्देश/विज्ञापन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर, जिला न्यायालय बुरहानपुर, जिला अधिवक्ता संघ बुरहानपुर, संयुक्त कार्यालय, बुरहानपुर, तहसील कार्यालय, बुरहानपुर एवं रोजगार कार्यालय, बुरहानपुर के सूचना पटल पर उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन कर प्राप्त कर सकते हैं साथ ही जिला न्यायालय की अधिकारिक वेबसाइट <https://burhanpur.dcourts.gov.in/notice-category/recruitments/> एवं <https://district.mphc.gov.in/en/recruitment-result> पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं।

02— आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों सहित बंद लिफाफे में श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर को सम्बोधित करते हुए पता:- ए.डी.आर. भवन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, ग्राम मोहम्मदपुरा, बुरहानपुर पिन:- 450331 में अंतिम तिथि 12.03.2025 तक कार्यालयीन समय सायं 05:00 बजे के पूर्व आवश्यक रूप से केवल स्वयं द्वारा अथवा डाक के माध्यम से प्रस्तुत करें, अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा एवं अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों को विचार नहीं किया जाएगा।

03— आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।

04— प्रत्येक अभ्यर्थी उपरोक्त दोनों ही पदों में से एक ही पद के लिये आवेदन—पत्र प्रस्तुत कर सकेगा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त दोनों पदों में से एक से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत किये तो, उसका आवेदन—पत्र अमान्य कर दिया जायेगा।

05— अभ्यर्थी अपने आवेदन—पत्र के साथ अपनी आवश्यक अर्हता से संबंधित अंकसूची, प्रमाण—पत्र, स्वयं का आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाणन हेतु सक्षम दस्तावेज की स्वप्रमाणित सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करेंगे।

चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक अर्हता एवं जानकारी -

(1) ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अपात्र होगा/होगी जो निम्न में से कोई हो -

- (क) उम्मीदवार जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
- (ख) उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पति या पत्नियां (जैसी भी स्थिति हो) हैं। इसी प्रकार उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहल से ही एक पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित हो।
- (ग) जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाये जाये।
- (घ) जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।
- (ङ) जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है (परंतु निरहित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या अधिक संतान का जन्म होता है।)

(2) केन्द्र या राज्य सरकार के या केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारी या भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी निगम द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले नियंत्रित व्यक्ति द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा।

(3) अभ्यर्थी किसी भी पद हेतु किसी भी स्थापना में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा यदि उसके विरुद्ध किसी कार्यालय में विभागीय जाँच लंबित हो।

(4) अभ्यर्थी को केन्द्रीय या संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में भाग लेने से अनर्हित किया गया हो।

- (5) अभ्यर्थी किसी प्रकार के अनैतिक क्रियाकलाप में संलग्न रहा हो / दोषसिद्ध पाया गया हो।
- (6) यदि अभ्यर्थी के द्वारा किसी क्रियाकलाप या कार्यक्रम में भाग लिया गया है या संबद्धता रही है—
 (एक) जिसका ध्येय भारत के संविधान को क्षति पहुँचाने का रहा हो,
 (दो) जिसका ध्येय संगठित होकर विधि की अवज्ञा या भंग कर हिंसा कारित करना हो,
 (तीन) जो भारत की संप्रभुता व अखण्डता या राज्य की सुरक्षा के हितों पर पूर्वाग्रह कारित करता हो,
 (चार) जो धर्म, वंश, भाषा, जाति या संप्रदाय के आधार पर विभिन्न वर्गों के मध्य शत्रुता या घृणा की भावना को प्रोत्साहित करता हो।
- (07) यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्त पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रस्तुत करता है या उसका आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य/अपूर्ण जानकारी दी है अथवा कोई जानकारी नहीं दी है अथवा किसी जानकारी को छिपाया है, तो संज्ञान में आते ही किसी भी स्तर/प्रक्रम पर उसका प्रवेश, चयन और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी तथा इस सम्बंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
- (08) इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन—पत्र बहुत सावधानी से भरें, आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कोई प्रावधान नहीं है। इस सम्बंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।
- (09) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो, तो निर्णय / संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक व दिनांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन—पत्र में पंजीबद्ध अपराध या दाण्डिक प्रकरण की जानकारी छिपाता है या असत्य जानकारी देता है, तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
- (10) निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा—
- (क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये भर्ती हेतु किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
 - (ख) प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो, या
 - (ग) कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
 - (घ) चयन के किसी भी स्तर पर दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन / दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
 - (ड) साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- (11) साक्षात्कार के संचालन में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- (12) अभ्यर्थियों को दिये गए निर्देशों या अन्य अनुदेशों, जिनमें साक्षात्कार के संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
- (13) साक्षात्कार भवन में चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना, या
- (14) साक्षात्कार में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना, जैसे मोबाइल फोन, कैमरा लगा कोई उपकरण या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरण प्रतिबंधित है।
- (15) पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है अर्थात् पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। अंतिम/चयन के पूर्व किसी भी चरण में ऐसी रिक्तियां इस विज्ञापन के अंतर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जायेंगी, परन्तु ऐसे रिक्त पदों के लिए पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जाएंगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।
- (16) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय चयन समिति को होगा।

(17) अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के निरीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही साक्षात्कार दिनांक को ही होगी और उन्हें मूल पहचान पत्र के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होना होगा।

(18) पुनः मूल्यांकन / पुनः साक्षात्कार हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा इस संबंध में प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

(19) आवेदक को साक्षात्कार/स्कीनिंग की सूचना उनके द्वारा आवेदन में उल्लेखित मोबाइल नम्बर पर एसएमएस, ई-मेल के माध्यम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर के सूचना पटल पर दी जायेगी। जिसमें आवेदक समय-समय पर अपने मोबाइल एवं ई-मेल की जांच करते रहें, सूचना न मिलने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

(20) साक्षात्कार एवं कम्प्यूटर/टायपिंग दक्षता में समिलित अभ्यर्थियों अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर के सूचना पटल पर प्रकाशित कर दिये जायेंगे। पृथक से इस संबंध में सूचित नहीं किया जायेगा।

चयन प्रक्रिया

01. योग्य अभ्यर्थियों में से अंतिम चयन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम, 2022 अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।

02. ऑफिस असिस्टेंट/कलर्क के पद हेतु चयन समिति के द्वारा उक्त पद हेतु उपस्थित अभ्यर्थी के साक्षात्कार के साथ ही अभ्यर्थियों को एक मिनट में 40 वर्ड प्रति मिनट के अनुसार डिक्टेशन देकर, उक्त डिक्टेशन अनुसार टाईप किये गए मेटर में शब्दों की संख्या के मापदण्ड के अनुसार, कुल टाईप किए गए शब्दों की संख्या में से, उक्त मेटर का प्रिन्ट ऑउट निकलवाकर, उक्त मेटर में टाईपिंग की अशुद्धियों में प्रत्येक अशुद्धी पर 01 अंक कम किया जाकर अभ्यर्थीगण द्वारा प्राप्त किये गए अंकों की सूची पर भी चयन समिति के सदस्यों द्वारा विचार किया जायेगा।

नोट- जिला न्यायालय के अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारीगण के संबंध में चयन समिति के द्वारा उनके कार्य करने की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता को भी दृष्टिगत रखा जायेगा।

03. ऑफिस पून का चयन – चयन समिति के द्वारा ऑफिस पून के साक्षात्कार के समय उसके कार्य के अनुभव, आज्ञाकारिता, आचरण एवं ऐसी अन्य कोई जानकारी जो चयन समिति की दृष्टि में उक्त अभ्यर्थी के चयन हेतु आवश्यक हो, पर विचार करते हुये चयन कार्यवाही संपादित की जायेगी।

04. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक के पश्चात को साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर के नोटिस बोर्ड पर किया जायेगा।

05. आवेदन पत्रों की छटनी उपरांत साक्षात्कार हेतु योग्य पाये गए अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये साक्षात्कार की तिथि का निर्धारण किया जायेगा, जिसकी सूचना साक्षात्कार हेतु योग्य पाये गए अभ्यर्थियों को एसएमएस/ ईमेल/टेलिफोनिक सूचना के माध्यम से तथा योग्य अभ्यर्थियों की सूची चर्चा किये जाने के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर के सूचना पटल पर चर्चा कर की जायेगी।

06. साक्षात्कार के समय, साक्षात्कार हेतु योग्य पाये गए समस्त अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के संलग्न किये गए दस्तावेज की मूल प्रति एवं अपने छायाचित्र के संबंध में अधिकृत फोटो पहचान प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अपने साथ लेकर आयें एवं चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त की जा सकेगी।

आवेदन पत्रों (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

उक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति के संबंध में अधिक जानकारी हेतु विस्तृत विज्ञापन जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट <https://burhanpur.dcourts.gov.in/notice-category/recruitments/> एवं <https://district.mphc.gov.in/en/recruitment-result> पर जाकर एवं संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम, 2022, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की वेबसाइट www.mpslsa.gov.in पर उपलब्ध होकर डाउनलोड की जा सकती है।

संलग्न – आवेदन के प्रारूप

Answe
प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
✓ बुरहानपुर (म.प्र.)

1972/25